



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 1977/पौष 17, 1898

No. 8]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1977/PAUSA 17, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January 1977

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), the Central Government hereby extends to the Union territory of Delhi, the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1976 (Haryana Act 18 of 1976), as in force in the State of Haryana on the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

Modifications

1. Throughout the Act,—

- (i) for the figures, letters and works “and day of August, 1975”, wherever they occur, the words “appointed day” shall be substituted;
- (ii) except in clause (f) of section 2, for the words “commencement of this Act”, wherever they occur, the words “appointed day” shall be substituted;
- (iii) except in sub-clause (i) of clause (f) of section 2, for the words “State Government”, wherever they occur, the word “Administrator” shall be substituted;
- (iv) for the words, figures and brackets “the Punjab Registration of Money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938)”, wherever they occur, the words, figures and brackets “the Punjab Registration of Money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938), as extended to the Union territory of Delhi” shall be substituted.

2. In section 1, for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.”;

3. In section 2,—

(i) clause (a) shall be re-lettered as clause (aa), and before the clause as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

“(a) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution; ;

(ii) after clause (aa) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aaa) “appointed day” means the date on which this Act comes into force;’;

(iii) in clause (b), in sub-clause (vii), for the words “Central Government in the Gazette”, the words “Administrator in the Delhi Gazette” shall be substituted;

(iv) in clause (c), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(ii) a Panchayati Adalat constituted under the Delhi Panchayat Raj Act, 1954 (Delhi Act, 3 of 1955);”;

(v) in clause (e), for the words, figures and brackets “the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 (Punjab Act 25 of 1961)”, the words, figures and brackets “the Delhi Co-operative Societies Act, 1972 (Parliament Act 35 of 1972)” shall be substituted;

(vi) in clause (f), for the words “date of commencement of this Act”, the words “appointed day” shall be substituted;

4. Section 3 shall be omitted.

5. In section 25,—

(a) in sub-section (1), for the words “Official Gazette”, the words “Delhi Gazette” shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words “previous publication”, the words “previous publication in the Delhi Gazette” shall be substituted;

(c) sub-section (3) shall be omitted.

6. Section 27 shall be omitted.

ANNEXURE

THE HARYANA RELIEF OF AGRICULTURAL INDEBTEDNESS ACT, 1976 (HARYANA ACT 18 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF DELHI

An Act to provide relief from indebtedness to agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers and small farmers.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1976.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II—SEC. 3(i)

2. In section 1, for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

- “(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.”;

3. In section 2,—

(i) clause (a) shall be re-lettered as clause (aa), and before the clause as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

‘(a) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;’;

(ii) after clause (aa) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aaa) “appointed day” means the date on which this Act comes into force;’;

(iii) in clause (b), in sub-clause (vii), for the words “Central Government in the Gazette”, the words “Administrator in the Delhi Gazette” shall be substituted;

(iv) in clause (c), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(ii) a Panchayati Adalat constituted under the Delhi Panchayat Raj Act, 1954 (Delhi Act, 3 of 1955);”;

(v) in clause (e), for the words, figures and brackets “the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 (Punjab Act 25 of 1961)”, the words, figures and brackets “the Delhi Co-operative Societies Act, 1972 (Parliament Act 35 of 1972)” shall be substituted;

(vi) in clause (f), for the words “date of commencement of this Act”, the words “appointed day” shall be substituted;

4. Section 3 shall be omitted.

5. In section 25,—

(a) in sub-section (1), for the words “Official Gazette”, the words “Delhi Gazette” shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words “previous publication”, the words “previous publication in the Delhi Gazette” shall be substituted;

(c) sub-section (3) shall be omitted.

6. Section 27 shall be omitted.

ANNEXURE

**THE HARYANA RELIEF OF AGRICULTURAL INDEBTEDNESS ACT, 1976
(HARYANA ACT 18 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY
OF DELHI**

An Act to provide relief from indebtedness to agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers and small farmers.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1976.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;

- (aa) "agricultural labourer" means a person who follows any one or more of the following agricultural occupations in the capacity of a labourer on hire or exchange, whether paid in cash or in kind or partly in cash and partly in kind:—
- (i) farming including cultivation and tillage of soil, etc.;
 - (ii) dairy farming;
 - (iii) production, cultivation, growing and harvesting of any horticultural commodity;
 - (iv) raising of livestock, bees or poultry; and
 - (v) any practice performed on a farm as incidental to or in conjunction with farm operations (including any forestry or timbering operations) and preparation for market and delivery to storage or to market or to carriage for transportation of farm products;
- (aaa) "appointed day" means the date on which this Act comes into force;
- (b) "bank" means—
- (i) banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949);
 - (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (Parliament Act 23 of 1955);
 - (iii) a subsidiary bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (Parliament Act 38 of 1959);
 - (iv) a corresponding new Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Parliament Act 5 of 1970);
 - (v) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949);
 - (vi) the Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (Parliament Act 10 of 1963);
 - (vii) any other financial institution notified by the Administrator in the Delhi Gazette as a bank for the purpose of this Act;
- (c) "civil court" includes—
- (i) a court exercising jurisdiction under the Provincial Insolvency Act, 1920 (Central Act 5 of 1920);
 - (ii) a Panchayati Adalat constituted under the Delhi Panchayat Raj Act, 1954 (Delhi Act 3 of 1954);
 - (iii) a court exercising powers under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (Central Act 9 of 1887);
- (d) "Collector" means the Head Revenue Officer of a District, and includes any other officer appointed under this Act by the Administrator, by notification to exercise the powers of a Collector;
- (e) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the Delhi Co-operative Societies Act, 1972 (Central Act 35 of 1972);
- (f) "debt" includes all liabilities owing to a creditor in cash or kind, secured or unsecured, payable under a decree or order of a civil court or otherwise and subsisting on the appointed day whether due or not due but it does not include—
- (i) a debt due to the Central Government, any State Government, a local authority, a co-operative society or a bank;
 - (ii) a debt due to any Government company within the meaning of the Companies Act, 1956 (Parliament Act 1 of 1956);
 - (iii) a debt due to the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (Parliament Act 3 of 1956), or other corporations established under any law for the time being in force;
 - (iv) any rent due in respect of any property let out to a debtor;
 - (v) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;

- (vi) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered;
- (vii) any liability in respect of maintenance whether under a decree of civil court or otherwise;
- (viii) any debt which represents the price of any goods or property purchased by a debtor;
- (ix) any advance of money given to the debtor by a person as the price of goods or property to be sold later on;
- (x) any advance of wages whether in cash or in kind, or partly in cash or partly in kind, made to a debtor at his instance by a person in pursuance of a contract of service for a specified period:

Provided that the rate of wages settled is not less than the minimum rate of wages fixed by law;

- (xi) any sum recoverable as arrears of land revenue;
- (g) "debtor" means an agricultural labourer, a marginal farmer, a small farmer or a rural artisan, who owes a debt;
- (h) "marginal farmer" means a person who owns land not exceeding one hectare of unirrigated agricultural land and whose principal means of livelihood is income from such land or by manual labour on land not exceeding one hectare of unirrigated agricultural land or from production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto or by practising craft by his own labour or by the labour of the members of his family in a rural area;
- (i) "rural artisan" means a person who does not own any agricultural land and whose principal means of livelihood is production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto and also a person who normally earns his livelihood by practising a craft either by his own labour or by the labour of the members of his family in a rural area;
- (j) "small farmer" means a person who owns land exceeding one hectare but not exceeding two hectares of unirrigated agricultural land and whose principal means of livelihood is income from such land or by manual labour on land exceeding one hectare but not exceeding two hectares of unirrigated agricultural land or from production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto or by practising craft by his own labour or by the labour of the members of his family in a rural area.

Explanation.—For the purposes of clauses (h) and (j), one hectare of perennially irrigated land shall be equated with two hectares of non-perennial irrigated land and three hectares of un-irrigated land.

3. [Omitted.]

4. Interest not to accrue in respect of debt.—No interest shall accrue in respect of debt on or after the appointed day.

5. Discharge of debt.—Notwithstanding anything contained in any enactment for the time being in force or in any contract or other instrument having the force of law,—

- (a) every debt, together with any interest payable thereon, owed on the appointed day by an agricultural labourer, a rural artisan, or a marginal farmer, whose annual household income does not exceed two thousand and four hundred rupees, shall be deemed to be wholly discharged;
- (b) every debt owed to any person by an agricultural labourer, a rural artisan or a marginal farmer, whose annual household income exceeds two thousand and four hundred rupees and a small farmer shall be deemed to be wholly discharged if—
 - (i) he, had in the discharge of his debt, paid a sum exceeding or equivalent to double the amount of the debt at any time before the appointed day;

- (ii) he, in the discharge of his debt, pays, after the appointed day, a sum which, together with any sum already paid in the discharge of such debt, is equivalent to double the amount of the debt;
- (c) every property pledged or mortgaged by a debtor whose debt is deemed to be discharged under clause (a) or clause (b), shall stand released in his favour when such debt is deemed to be discharged and the creditor shall, if he is in possession thereof, return the same to the debtor forthwith;
- (v) subject to the provisions of clauses (a) and (b), the liability of a debtor to repay the debt, together with any interest payable thereon, shall not exceed twenty per cent of the gross value of his annual household income multiplied by seven and such liability shall be spread for repayment over a period upto seven years to be reckoned from the date of order of adjudication. No recovery of amount in excess of the debt liability scaled down shall be made and the portion on the debt in excess thereof shall be extinguished.

6. Interest.—The interest payable on the debt shall be calculated at the rate applicable to debt under the law, custom or contract or at a rate of six per cent per annum whichever is less and credit shall be given for all sums paid or credited first towards outstanding interest and the balance, if any, shall be credited towards repayment of the principal. The amount of principal and the interest outstanding will be considered as the net outstanding debt on the appointed day, for the purpose of scaling down.

7. Appointment of debt settlement officer.—The Administrator may, for the purpose of settlement between the debtors and their creditors, appoint debt settlement officers and define the local areas in which they shall exercise jurisdiction.

8. Application for settlement.—A debtor or any of his creditors may apply within a period of six months from the date of notification under sub-section (2) of section 1, to the debt settlement officer appointed for the area in which a debtor resides or holds any land to effect a settlement between the debtor and his creditors.

9. Verification of application.—Every application to debt settlement officer shall be in writing and be signed by the applicant and verified in such manner as may be prescribed.

10. Particulars to be stated in application.—(1) Every application presented by a debtor to the debt settlement officer shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the place where he resides or holds land;
- (b) the particulars of all claims against him together with names and residences of his creditors;
- (c) the particulars of all his property, together with a specification of the value of such property and the place or places at which any such property is to be found;
- (d) the particulars of his household income;
- (e) a statement containing full particulars showing that he is a debtor;
- (f) a statement whether he has previously filed an application in respect of the same debt before the debt settlement officer, and if so, with what result.

(2) Every application presented by a creditor shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the place where the debtor resides or holds land;
- (b) the amount and particulars of his claim against such debtor;
- (c) a statement containing full particulars of the debtor

11. Procedure on receipt of application.—(1) On receipt of an application under section 8, the debt settlement officer shall pass an order fixing a date and place for hearing the application.

(2) Notice of the order under sub-section (1) shall be sent to creditors by registered post, acknowledgement due, at the cost of the applicant and where the

(2) b debtor is not the applicant, notice of the order under sub-section (1) shall be sent to him in a similar manner.

12. Notice calling creditors to submit statements of debts.—(1) On the date fixed, the debt settlement officer shall publish, in such manner as may be prescribed, a notice, calling upon every creditor of the debtor to submit a statement of debts owed to such creditor by the debtor. Such statement wherein the creditor shall show whether he is registered under the Punjab Registration of Money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938), as extended to the Union territory of Delhi, and had complied with the provisions thereof, shall be submitted to the debt settlement officer in writing within a period of two months from the date of publication of the notice:

Provided that, if the debt settlement officer is satisfied that any creditor was, for good and sufficient cause, unable, to comply with such direction or to produce the documents required under sub-section (1) of section 13 within the period fixed, it may extend the period for the submission of his statement of the debts owed to him or for the production of such documents.

(2) Every debt owed to a single creditor of which no such statement has been submitted to the settlement officer in compliance with the provisions of sub-section (1) shall be deemed to be duly discharged for all purposes and all occasions against such creditor; and every debt owed to two or more creditors jointly, of which such a statement or statements signed by all such creditors or their recognised agents has or have not been so submitted, shall be deemed to be so discharged against such creditors as have failed to submit the said statement but only to the extent of their respective shares in the said debt.

(3) If the creditor or any of the joint creditors fails without sufficient cause to be present in person or by his recognised agent or, with the permission of the debt settlement officer by legal practitioner at any of the hearings fixed by the debt settlement officer, or fails to produce full particulars and documents as required under sub-section (1) of section 13, the debt due to him or to the joint creditors, as the case may be, shall be deemed for all purposes and all occasions to have been fully discharged.

(4) If any creditor proves to the satisfaction of the debt settlement officer that the notice was not served on him and that he had no knowledge of its publication or that he was unavoidably absent at any of the hearings fixed by the debt settlement officer, the debt settlement officer may revive that debt.

13. Procedure on sub-mission of statements of debts.—(1) Every creditor submitting in compliance with a notice issued under sub-section (1) of section 12 a statement of the debts owed to him shall furnish along with such statement, full particulars of all such debts, and shall at the same time produce all documents (including entries in books of account) on which he relies to support his claims, together with a true copy of every such document:

Provided that a decree or order of a civil court shall be conclusive evidence as to the amount of the debt to which the decree relates, but the amount may be reduced if it exceeds double the principal loan or has been made up by including simple interest at a rate higher than six per cent per annum.

(2) The debt settlement officer shall after marking for the purpose of identification every original document so produced and verifying the correctness of the copy, retain the copy and return the original to the creditor.

14. Power of debt settlement officer to adjudicate.—(1) If a creditor or a debtor, as the case may be, challenges the genuineness or enforceability of any debt included in an application, the debt settlement officer shall adjudicate upon the issue.

(2) Any person aggrieved by a decision of the debt settlement officer under sub-section (1) may appeal therefrom to the Collector:

Provided that an appeal shall not lie from an order refusing to review or confirming on review a previous order.

(3) The period of limitation for an appeal under this section shall run from the date of the order appealed against and shall be thirty days.

(4) The debt settlement officer shall determine in the case of each debt shown in the application made by the debtor or his credit or under section 8, or in the

statement furnished by the creditor under section 13, other than a debt declared n~~o~~ genuine or unenforceable, the principal amount originally advanced, the amount paid by the debtor towards the principal or interest or both and the interest at the rate of six per cent per annum from the date the principal amount was advanced to the appointed day, however, that in calculating the interest, the payment made by the debtor from time to time shall first be adjusted against the interest due on the date of payment and then towards the principal and onwards interest shall be calculated on the principal amount thus remaining outstanding.

(5) Where the debtor is found to have repaid to the creditor an amount equal to, or exceeding, double the principal amount, or the debtor on being apprised of such findings pays an amount which makes the total repayment equal to double the amount of principal, the debt settlement officer shall declare the debt as fully discharged and thereupon the provisions of clause (c) of section 5 shall apply to the debt. In case the amount repaid to the creditor is found to be in excess of double the principal, the debt settlement officer shall order the refund of the same to the debtor by the creditor.

(6) The debt settlement officer shall estimate the annual household income of a debtor and determine, for the purposes of section 5, his liability and capacity to repay the debts outstanding against him.

(7) In the cases not falling under sub-section (5), the debt settlement officer shall, keeping in view the outstanding amount of principal and interest as determined under sub-section (4) and the paying capacity of the debtor determined under sub-section (6) as the case may be, order the payment of the amount in yearly equal instalments not exceeding seven:

Provided that in no case the debtor shall be required to pay towards the principal and interest any amount that exceeds double the principal:

Provided further where the amount of yearly instalment in respect of all the debts exceeds the paying capacity of the debtor, the debts shall be proportionately reduced so as to make the yearly instalment equal to the paying capacity and on payment of the instalments so determined, the debt or debts shall stand fully discharged.

15. Consequences of non-registration under Punjab Act 3 of 1938.—In recording findings under section 14, the debt settlement officer may, where a creditor is not registered in accordance with the provisions of the Punjab Registration of Money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938), as extended to the Union territory of Delhi, disallow the whole of his claim and declare the debt as fully discharged and where the creditor is found to have failed to comply with the provisions of the said Act with regard to maintenance and publication of accounts, disallow whole of the interest on the principal amount.

16. Power of debt settlement officer to require attendance of persons and production of documents and to receive evidence.—A debt settlement officer appointed under section 9 may exercise all such powers connected with the summoning and examining of parties and witnesses and with the production of documents as are conferred on civil courts by the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), and every proceeding before the debt settlement officer shall be deemed to be a judicial proceeding.

17. Dismissal of application in default.—If in the opinion of the debt settlement officer any applicant fails to conduct his application with due diligence, the debt settlement officer may dismiss the application at any stage.

18. Decision of debt settlement officer to be final.—If any question arises in any proceedings under this Act whether a loan or liability is a debt or not, or whether a person is debtor or not, the decision of the debt settlement officer shall be final, and shall not be called into question in any court.

19. Bar of civil suits.—No civil court shall entertain—

(a) any suit, appeal or application for revision—

(i) to question the validity of any procedure or the legality of any order issued under this Act; or

(ii) to recover any debt which has been deemed to have been duly discharged under the provisions of this Act;

- (b) any application to execute a decree passed by a civil court against a debtor;
- (c) any suit for declaration, or any suit or application for injunction affecting any proceedings under this Act before a debt settlement officer.

20. Review.—Any person considering himself aggrieved by an order of the debt settlement officer and who, from the discovery of any new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when such order was made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the order made against him, may apply for a review of such order to the debt settlement officer who may review the order and pass such order as he thinks fit:

Provided that he shall not under this section pass an order reversing or modifying any order affecting any person interested without giving such person an opportunity of being heard:

Provided further that no application for review shall be entertained if presented more than twelve months after the date of the order sought to be reviewed.

21. Bar of appeal or revision.—Save as otherwise expressly provided in this Act, no appeal or revision shall lie against any order passed by a debt settlement officer.

22. Appearance of party before debt settlement officer by legal practitioner.—In any proceedings under this Act, any party may be represented by an agent authorised in writing or with the permission of the debt settlement officer by a legal practitioner.

23. Application of provisions of Parliament Act 36 of 1963.—The provisions of the Limitation Act, 1963 (Parliament Act 36 of 1963), shall apply to an application made by a creditor under section 8 as if the application were a plaint in a suit for recovery of the loan.

24. Recovery of sums due.—The order of the Debt Settlement Officer passed under this Act shall be executed by the civil court having jurisdiction in the area as if it were a decree or order of that court.

25. Powers to make rules.—(1) The Administrator may, notification in the Delhi Gazette, make rules to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) The rules made under sub-section (1) shall be subject to previous publication in the Delhi Gazette.

(3) [Omitted.]

26. Amendment of section 4 of Punjab Act 3 of 1938.—Section 4 of the Punjab Registration of Money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938), as extended to the Union territory of Delhi, shall be re-numbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-sections shall be inserted, namely:—

- “(2) No money lender shall carry on the business of advancing loans unless he gets himself registered under sub-section (1).
- (3) Any money lender who contravenes the provisions of sub-section (2) shall be liable, on conviction, to a fine not exceeding one thousand rupees for the first offence and two thousand rupees for every subsequent offence.”

27. [Omitted.]

[No. U-11015/1/76-UTL(137).]

MAHESH PRASAD, Jt. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1977

सां० का० नि० 9(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) का धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा कृषि वृद्धिता अवमुक्त अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम 18) को, जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख पर हरियाणा राज्य में प्रवृत्त था, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुये, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को विस्तारित करता है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. समस्त अधिनियम में—

- (i) “22 अगस्त, 1975” अंकों, संभेदाक्षर और शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आये हों, “नियत दिन” शब्द रखे जायेंगे;
- (ii) धारा 2 के खण्ड (च) के सिवाय, जहाँ कहीं भी “इस अधिनियम के प्रारम्भ” शब्द आये हैं उनके स्थान पर “नियत दिन” शब्द रखे जायेंगे;
- (iii) धारा 2 के खण्ड (च) के उपखण्ड (i) के सिवाय, जहाँ कहीं भी “राज्य सरकार” शब्द आये हों, उनके स्थान पर, “प्रशासक” शब्द रखा जायेगा;
- (iv) “पंजाब साहूकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम, 3) “शब्दों, अकों और कोष्टकों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आये हों, “दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को यथाविस्तारित पंजाब साहूकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम 3)” शब्द, अंक और कोष्टक रखे जायेंगे।

2. धारा 1 में, उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जायेंगी, अर्थात् :—

- “(2) इसका विस्तार संपूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर है।
- “(3) यह इस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक द्वारा दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये।”

3. धारा 2 में,—

- (i) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) ‘प्रशासक’ से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभियोग है”;

(ii) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) ‘नियत दिन’ से अभिप्रेत है वह तारीख जिसको अधिनियम प्रवृत्त हो”;

(iii) खण्ड (ब) में उपखण्ड (VII) में, “केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में” शब्दों के स्थान पर “प्रशासक द्वारा दिल्ली के राजपत्र में” शब्द रखे जायेंगे।

(iv) खण्ड (ग) में, उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा:—
अर्थात्:—

“(ii) दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 (1955 का दिल्ली अधिनियम सं० 3) के अधीन गठित पंचायती अदालत,”;

(v) खण्ड ड में “पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम सं० 25)” शब्दों, अंकों, और कोष्ठकों के स्थान पर “दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 (1972 का संसद अधिनियम सं० 35)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे;

(vi) खण्ड (च) में “इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख” शब्दों के स्थान पर “नियत दिन” शब्द रखे जायेंगे।

4. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

5. धारा 25 में,—

(क) उपधारा (1) में, “राजपत्र” शब्द के स्थान पर “दिल्ली के राजपत्र” शब्द रखे जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, “पूर्व प्रकाशन” शब्दों के स्थान पर “दिल्ली के राजपत्र में पूर्व प्रकाशन” शब्द रखे जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

6. धारा 27 का लोप किया जायेगा।

उपायकरण

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम, 18)

कृषिक, मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, उपान्तिक किसानों और छोटे किसानों को ऋणता से राहत दिलाने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक द्वारा दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

(कक) “कृषि मजदूर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित कृषि व्यवसायों में सं किसी एक व्यवसाय या अधिक व्यवसायों को भाड़े पर या विनियम के आधार पर, चाहे संदाय नकदी में किया जाये या वस्तु के रूप में, या भागतः नकदी में और भागतः वस्तु के रूप में, किसी मजदूर की हैसियत में अपनाता है—

(i) खेती में काश्त तथा भूमि की जुलाई आदि भी है;

(ii) दुग्ध उद्योग;

(iii) उद्यान कृषि की वस्तु का उत्पादन, काश्त करना, उगाना तथा काठना;

(iv) पशुधन, मधुमक्खी और मुर्गी पालन करना; और

(v) किसी फार्म पर खेती के कामों के आनुषंगिक या उसके साथ किया गया कोई व्यवसाय (जिसमें वन-विज्ञान तथा इमारती लकड़ीं संबंधीं सक्रियायें सम्मिलित हैं) और खेती उत्पादन को मण्डी या बाहन को परिदान करना।

(ककक) “नियत दिन” से अभिप्रेत है वह तारीख जिसको अधिनियम प्रवृत्त हो;

(ख) “बैंक से—

(i) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 को केन्द्रीय अधिनियम, 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है।”

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का संसद अधिनियम 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है;

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का संसद अधिनियम, 38) में यथापरिभाषित समानुषंगी बैंक अभिप्रेत है;

(iv) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण अधिनियम 1970 (1970 का संसद अधिनियम 5) के अधीन गठित तत्समान नया बैंक अभिप्रेत है;

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसचित् कोई बैंककारी संस्था अभिप्रेत है;

(vi) कृषि पुनर्वित और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का संसद अधिनियम, 10) के अधीन गठित कृषि पुनर्वित और विकास निगम अभिप्रेत है; तथा

(vii) इस अधिनियम के प्रभोजन के लिये किसी बैंक के रूप में प्रशासक द्वारा दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।

(ग) "सिविल न्यायालय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- (i) ऐसा न्यायालय, जो प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है।
- (ii) दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1972 (1955 का दिल्ली अधिनियम सं० 3) के अधीन गठित पंचायती अदालत;
- (iii) ऐसा न्यायालय जो प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का केन्द्रीय अधिनियम, 9) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

(घ) "कलेक्टर" से किसी जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें इस नियम के अधीन शासक द्वारा कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है।

(ङ) "सहकारी संस्थाएँ" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 (1972 का संसद् अधिनियम सं० 35) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हो या रजिस्ट्रेक्टर समझा गई हो।

(च) "ऋण" के अन्तर्गत किसी लेनदार को नकदी या वस्तु के रूप में देय सभी दायित्व सम्मिलित हैं, चाहे व प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत तथा किसी सिविल न्यायालय को बिक्री या आदेश के अधीन या अन्यथा सदेय हों और नियत दिन को विधमान हों, चाहे व देय हो या नहीं किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :—

- (i) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सहकारी सोसायटी या किसी बैंक को देय ऋण;
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का संसद् अधिनियम 1) के अर्थ में किसी सरकारी कम्पनी को देय ऋण;
- (iii) जीवन बीमा निगम कम्पनी, 1956 (1956 का संसद् अधिनियम 3) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किन्हीं अन्य निगमों को देय ऋण;
- (iv) किसी ऋणी को किराये पर दो गई किसी सम्पत्ति के संबंध में देय कोई भाटक।
- (v) न्याय भंग से उत्पन्न होने वाला दायित्व या अपकृत्य संबंधी कोई दायित्व।
- (vi) कोई गई सेवाओं के लिये वेतन के रूप में या अन्यथा देय संजूरी या पारिवर्तन के संबंध में दायित्व।
- (vii) भरण-पोषण के संबंध में कोई दायित्व, चाहे वह सिविल न्यायालय की किसी डिक्री के अधीन हो या अन्यथा।
- (viii) ऐसा ऋण जो किसी ऋणी द्वारा क्रय किये गये माल या सम्पत्ति की कीमत का द्वोतक है।

(ix) ऐसा अग्रिम धन जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी कृष्णी को, बाद में विक्रीत किये जाने वाले माल या सम्पत्ति की कीमत के रूप में दिया गया है।

(x) मजदूरी का अग्रिम, चाहे वह नकदी में हो या वस्तु के रूप में हो या भागतः नकदी में हो या भागतः वस्तु के रूप में हो, जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिदिष्ट अवधि तक सेवा संविदा के अनुसरण में किसी कृष्णी को उसके कहने पर दिया गया है :

परन्तु यह तब जब कि देय मजदूरी की दर विधि द्वारा नित मजदूरी की न्यूनतम दर से कम न हो।

(xi) भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य कोई राशि ;

(छ) “कृष्णी” से ऐसा कृषि मजदूर, उपान्तिक किसान, छोटा किसान या ग्रामीण कारीगर अभिप्रेत है जिसने कृष्ण देना है।

(ज) “उपान्तिक किसान” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक हैक्टेयर तक की असिंचित कृषि भूमि का स्वामी है और जिसकी आजीविका का मुख्य साधन ऐसी आय है जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसी भूमि से या एक हैक्टेयर तक की असिंचित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा या कृषि या उसके अन्वयी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले परम्परागत औजारों, उपकरणों, अन्य वस्तुओं या चीजों के उत्पादन या उनकी मरम्मत से या स्वयं अपने या अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से शिल्प कर्म द्वारा होती है।

(झ) “ग्रामीण कारीगर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कृषि भूमि का स्वामी नहीं है और जिसकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि या उसके समनुषंगी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले परम्परागत औजारों, उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं या चीजों के उत्पादन या मरम्मत से है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो सामान्यतया अपनी आजीविका तो स्वयं अपने श्रम से या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम से किसी ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकर्म द्वारा उपार्जित करता है।

(ञ) “छोटा किसान” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक हैक्टेयर से अधिक की किन्तु दो हैक्टेयर से अनधिक की असिंचित कृषि-भूमि का स्वामी है और जिसकी आजीविका का मुख्य साधन ऐसी आय है जो ऐसी भूमि से या एक हैक्टेयर से अधिक की किन्तु दो हैक्टेयर से अनधिक की असिंचित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा या कृषि या उसके समनुषंगी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले परम्परागत औजारों, उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं तथा चीजों के उत्पादन या मरम्मत से या स्वयं अपने श्रम द्वारा या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम द्वारा किसी ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकर्म से होती है।

स्पष्टीकरण.—खण्ड (ज) और (झ) के प्रयोजनों के लिये, बारहमासी सिंचित भूमि का एक हैक्टेयर गैर-बारह मासी सिंचित भूमि के दो हैक्टेयर और असिंचित भूमि के तीन हैक्टेयर के बराबर होगा।

3. (विलोपित)

4. ऋण को बाबत व्याज प्रोद्भूत नहीं होगा।—नियत दिन को या उसके पश्चात् ऋण की बाबत कोई व्याज प्रोद्भूत नहीं होगा।

5. **ऋण मुक्ति.**—तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में या विधि का बल रखने वाली किसी संविदा या अन्य लिखित में अन्तविष्ट किसी बात के होते हए भी,—

(क) किसी ऐसी कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर या उपनिति किसान द्वारा, जिसकी वार्षिक घरेलू आय 2,400 रुपये से अधिक न हो, नियत दिन को देय प्रत्येक ऋण को उस पर संदेय व्याज सहित पूरी तरह से चुकाया गया समझा जाएगा।

(ख) किसी ऐसे कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर या किसी उपनिति किसान द्वारा जिसकी वार्षिक घरेलू आय 2,400 रुपये से अधिक हो तथा छोटे किसान द्वारा किसी व्यक्ति को देय प्रत्येक ऋण को उस दशा में पूरी तरह से चुकाया गया समझा जाएगा, जबकि—

(i) उसने अपने ऋण चुकाने के लिये नियत दिन से पूर्व किसी भी समय ऋण की राशि के दुगने से अधिक या उसके बराबर राशि संदर्भ की है।

(ii) वह अपने ऋण चुकाने के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसी राशि संदर्भ करता है जो ऐसे ऋण चुकाने के लिये पहले ही संदर्भ की गई किसी राशि सहित, ऋण की दुगुनी राशि के बराबर है।

(ग) किसी ऐसे ऋणी द्वारा जिसके ऋण खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन चुकाया गया समझा जाये, गिरवी रखी गई या बन्धक की गई प्रत्येक सम्पत्ति, उस समय उसके पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी जबकि ऐसा ऋण का चुकाया जाना समझा जाता है और लेनदार, यदि सम्पत्ति उसके कब्जे में हो, उसे तत्काल ऋणी को लौटा देगा।

(घ) खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऋण का प्रतिसंदाय करने के लिये किसी ऋणी के, ऋण तथा उस पर संदेय व्याज की बाबत दायित्व, वार्षिक घरेलू आमदारी को सात से गुण करके जो सकल मूल्य आता हैं उसके सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसे दायित्व के प्रतिसंदाय के लिये सात वर्ष तक की अवधि तक विस्तरित किया जाएगा जिसकी गणना न्याय-निर्णयन के आदेश की तारीख से की जाएगी। कम किये गये ऋण के दायित्व से अधिक राशि की वसूली नहीं की जाएगी और उसे अधिक ऋण के भाग को समाप्त कर दिया जाएगा।

6. **व्याज.**—ऋण पर देय व्याज की गणना, विधि, रुद्धि या संविदा के अधीन ऋण को लागू दर पर या 6 प्रतिशत के वार्षिक दर पर, इनमें से जो भी कम हों, की जाएगी और जमा की गई सभी राशियों में पै पहले बकाया व्याज घटाया जाएगा और अतिशेष यदि कोई हो, को मूलधन के प्रतिसंदाय के लिये जमा किया जाएगा। मूलधन तथा बकाया व्याज की राशि को कम करने के प्रयोजन के लिये नियत दिन को शुद्ध बकाया ऋण के रूप में समझा जाएगा।

7. **ऋण निपटारा अधिकारियों की नियुक्ति.**—प्रशासक, ऋणियों और उनके लेनदारों के बीच निपटारा करने के प्रयोजन के लिये ऋण निपटारा अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा और ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को परिनिश्चित कर सकेगा जिनमें वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

8. **निपटारे के लिए आवेदन.**—कोई कृष्णी या उसका कोई लेनदार, धारा 1 की उपधारा

(2) के अधीन अद्विसूचना की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर, उस क्षेत्र के लिये जिसमें कृष्णी निवास करता है या ऐसी भूमि धारण करता है, कृष्णी और उसके लेनदारों के बीच निपटारा करने के लिये, नियुक्त कृष्ण निपटारा अधिकारी को आवेदन करेगा।

9. **आवेदन का सत्यापन.**—कृष्ण निपटारा अधिकारी को प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में किया जाएगा और उस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जो वह विनिर्दिष्ट करे।

10. (1) **आवेदन में विशिष्टियों का दिया जाना.**—कृष्ण निपटारा अधिकारी को कृष्णी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी, अर्थात् :—

- (क) वह स्थान, जहां वह निवास करता है या भूमि धारण करता है;
- (ख) अपने विरुद्ध सभी दायित्वों की बाबत विशिष्टियाँ तथा अपने लेनदारों के नाम और निवास स्थान;
- (ग) अपनी सभी सम्पत्ति की बाबत विशिष्टियाँ तथा ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की बाबत विवरण और वह स्थान या वे स्थान जहां ऐसी समर्ति पाई जाती है;
- (घ) उसकी घरेलू आय की बाबत विशिष्टियाँ;
- (ङ) ऐसा विवरण जिसमें यह दर्शित करने वाली पूरी विशिष्टियाँ होंगी कि वे कृष्णी हैं;
- (च) ऐसा विवरण कि क्या उसी कृष्णी की बाबत उसने पहले भी कृष्ण निपटारा अधिकारी को आवेदन किया है और यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम रहा है।

(2) लेनदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी, अर्थात् :—

- (क) वह स्थान; जहां कृष्णी निवास करता है या भूमि धारण करता है;
- (ख) ऐसे कृष्ण के विरुद्ध उसके दावे की रकम और विशिष्टियाँ;
- (ग) ऐसा विवरण जिसमें कृष्णी के बारे में पूरी विशिष्टियाँ हों।

11. **आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.**—(1) धारा 8 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर कृष्ण निपटारा अधिकारी, आवेदन की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत करने वाला आदेश पारित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश की सूचना, लेनदारों को रसोदी रजिस्ट्री डाक द्वारा आवेदक के खर्च पर भेजी जाएंगी और जहां कृष्णी आवेदक नहीं है वहां उपधारा (1) के अधीन आदेश की सूचना उसे इसी रीति में भेजी जाएगी।

12. **लेनदारों से कृष्ण के विवरण प्रस्तुत करने की बाबत सूचना.**—(1) नियत तारीख को कृष्ण निपटारा अधिकारी ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कृष्ण के प्रत्येक लेनदार से यह मांग करते हुये सूचना प्रकाशित करेगा कि वह कृष्णी द्वारा ऐसे लेनदार को देय कृष्णों की बाबत विवरण प्रस्तुत करे। ऐसा विवरण, जिसमें लेनदार यह दर्शित करेगा कि क्या वह दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र या याविस्तारित पंजाब साहूकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम 3

के अधीन रास्जट्रीकृत हैं और उसने उसके उपबन्धों का अनुपलन किया है, सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर क्रृष्ण निपटारा अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यदि क्रृष्ण निपटारा अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई लेनदार अच्छे और पर्याप्त कारण से ऐसे निदेश का पालन करने में या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नियत अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा है तो वह उसके द्वारा देय क्रृष्णों का विवरण प्रस्तुत करने की या ऐसे दस्तावेज पेश करने की अवधि को बढ़ा सकेगा।

(2) किसी एक लेनदार को देय क्रृष्ण, जिसके बारे में उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तरण के अनुपालन में क्रृष्ण निपटारा अधिकारी को ऐसे विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे लेनदार के विरुद्ध सभी प्रयोजनों तथा अवसरों के लिए सम्भवत चुकाया गया समझा जाएगा और या अधिक लेनदारों को संयुक्त रूप से देय क्रृष्ण जिसके बारे में ऐसे सभी लेनदार या उनके मान्यता प्राप्त अधिकारीओं द्वारा हस्ताक्षरित विवरण स प्रकार प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; उन लेनदारों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, इस प्रकार चुकाया गया समझा जाएगा किन्तु वह उक्त क्रृष्ण में केवल अपने अपने अंशों के परिणाम तक सीमित होगा।

(3) यदि लेनदार या संयुक्त लेनदारों में से कोई क्रृष्ण निपटारा अधिकारी द्वारा नियत की गई सुनवाई में पर्याप्त कारण के बिना स्वयं हाजिर नहीं होता या अपने मान्यता-प्राप्त अधिकारी के माध्यम से हाजिर नहीं होता या क्रृष्ण निपटारा अधिकारी की अनुज्ञा से विधि व्यवसायी द्वारा हाजिर नहीं होता या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित पूरी विशिष्टियां और दस्ता वेज पेश करने में असफल रहता है, तो यथा स्थिति, उसे या संयुक्त लेनदारों को, देय क्रृष्ण, सभी प्रयोजनों तथा अवसरों के लिये पूर्णतः चुकाया गया समझा जाएगा।

(4) यदि कोई लेनदार क्रृष्ण निपटारा अधिकारी के समाधानपद रूप में सिद्ध कर देता है कि उसको सूचना की तारीख नहीं की गई थी और उसे उसके प्रकाशन का कोई ज्ञान नहीं था या क्रृष्ण निपटारा अधिकारी द्वारा नियत की गई किसी सुनवाई में वह अपरहार्य रूप से अनुपस्थित था, तो क्रृष्ण निपटारा अधिकारी उस क्रृष्ण को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा।

13. क्रृष्ण की बाबत क्रृष्ण प्रस्तुत करने पर प्रक्रिया।—(1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में उसे देय क्रृष्णों का विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक लेनदार, ऐसे विवरण के साथ ऐसे क्रृष्णों की पूरी विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, और साथ ऐसे दस्तावेज (जिसमें लेखा बहियों की प्रविष्टि भी हैं) जिन पर वह अपने दायित्वों का समर्थन करने के लिये निर्मार करता है, प्रत्येक दस्तावेज की सही प्रति के साथ, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु किसी सिविल न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश उस क्रृष्णी रकम की बाबत जिस से बिक्री का संबंध है, निश्चयक साक्ष्य होगी, किन्तु यदि राशि मूल उधार की राशि के दुगने से अधिक है, या छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक दर पर साधारण ब्याज को सम्मिलित करके बनी है, तो राशि को कम किया जा सकेगा।

(2) क्रृष्ण निपटारा अधिकारी इस प्रकार पेश की गई प्रत्येक मूल दस्तावेज को पहचान के प्रयोजन के लिये अंकित करने के पश्चात तथा उस प्रति की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात, प्रति को रख लेगा और लेनदार को मूल लौटा दिया जाएगा।

14. ऋण निपटारा अधिकारी को न्याय निर्णयन को इवित्.—(1) यदि, व्यापारिति, कोई लेनदार या कोई ऋणी, किसी आवेदन में सम्मिलित ऋण का असली होना या प्रवर्त्यता के बारे में प्राक्षेप करता है तो ऋण निपटारा अधिकारी इस विवादक पर न्याय निर्णयन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऋण निपटारा अधिकारी के विनिश्चय से व्यक्ति कोई व्यक्ति उसके विवाद अपील बत्तेक्टर को कर सकेगा:

परन्तु पुनर्विलोकन से इन्कार करने व ले आदेश के या किसी पूर्व आदेश को पुनर्विलोकन पर पुष्ट करने वाले आदेश के विवाद कोई अपील नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन अपील के लिये परिसी माकाल उस आदेश की जिसके विवाद अपील की गई है त, रीब से प्ररम्भ होगी और वह तीस दिन की होगी।

(4) ऋण निपटारा अधिकारी, धारा 8 के अधीन ऋणी या उसके लेनदार द्वारा दिये गये आवेदन में या धारा 13 के अधीन लेनदार द्वारा दिये गये विवरण में दिखाये गये प्रत्येक ऐसे ऋण की दशा में जो उस ऋण से भिन्न है जिसके बारे में यह घोषित किया गया है कि वह असली नहीं पाया गया है या जो अप्रवर्त्तनीय है, मूल रूप से उधार दिये गये मूलधन का, ऋणी द्वारा मूलधन या ब्याज या दोनों की बाबत संदर्भ की गई रकम का तथा उस तारीख से जिसको मूलधन की राशि उधार दी गई थी नियत दिन तक छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का अवधारण करेगा, किन्तु ब्याज की गणना करने में, समय-समय पर ऋणी द्वारा दिये गये संदायों को सब से पहले संदाय की तारीख को देय ब्याज की ओर और उसके पश्चात् मूलधन की ओर समायोजित किया जाएगा और उसके प्रागे का ब्याज इस प्रकार ब्रेक मूलधन की राशि पर गिना जाएगा।

(5) जहाँ ऋणी के बारे में ऐसा पाया जाता है कि उसने मूलधन की राशि के दुगने के बराबर या उस से अधिक राशि लेनदार को प्रतिसंदत्त कर दी है या ऐसे निष्कर्ष का पता चलाने पर, ऋणी ने ऐसी राशि का संदाय कर दिया है जिसके कारण प्रतिसंदत्त की गई कुल राशि मूलधन की राशि के दुगने के बराबर हो जाती है, तो ऋण निपटारा अधिकारी उस ऋण को पूरी तरह से चुकाया गया घोषित कर देगा तथा तदुपरि धारा 5 के बिंदु (ग) के उपबन्ध ऋण को लागू होंगे यदि लेनदार को संदर्भ की गई राशि मूलधन के दुगने से अधिक पाई जाती है तो ऋण निपटारा अधिकारी उस राशि को लेनदार द्वारा ऋणी को लौटायाये जाने के बारे में आदेश करेगा।

(6) ऋण निपटारा अधिकारी किसी ऋणी का वार्षिक घरेलू आय का प्राक्कलन करेगा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिये, उसका दायित्व तथा उसके विवाद बकाया ऋणों का प्रतिसंदाय करने की क्षमता अवधारित करेगा।

(7) ऐसे मामलों में जो उपधारा (5) के अन्तर्गत नहीं शाते हैं, ऋण निपटारा अधिकारी, व्यापारिति, उपधारा (4) के अधीन यथा अवधारित शेष मूलधन और ब्याज की राशि और उपधारा (6) के अधीन अवधारित ऋणी की संदाय करने की क्षमता उपधारा में रखते हुये, गणिका संदाय सात से अनधिक बराबर वार्षिक किश्तों में करने का आदेश करेगा:

परन्तु किसी भी दशा में, ऋणी से मूलधन और ब्याज की बाबत ऐसी राशि के संदाय करने की दायेज्ञा नहीं की जाएगी जो मूलधन के दुगने से अधिक हो।

२९८१

परन्तु यह और कि जहाँ सभी ऋगों की बाबत वार्षिक किशत ही राशि, ऋगी के ऋग संदाय करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, वहाँ ऋगों को ऐसे प्रनुयात में करने कर दिया जाएगा कि वार्षिक किशत उसके सामर्थ्य के बराबर हो जाये और इस प्रकार अवधारित किशतों के संदाय करने पर ऋग पूरी तरह उन्मुक्त हो जाएगा या हो जाएगी।

15. 1938 के पंजाब अधिनियम 3 के अप्रौय रजिस्ट्रीकरण करने के परिणाम.—धारा 14 के अधीन निष्कर्ष अभिनिवित करने समझ, ऋग निपटारा अधिकारी, जहाँ कोई लेनदार दिल्ली संघ राज्यसेवा को यथा विस्तारित पंजाब साहुलार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम 3) के उपबन्धों ने अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं है उसके पूरे दावे को नामंजूर कर सकेगा और ऋग को पूरी तरह से चुकाया गया घोषित हो सकेगा और जहाँ यह साना जाता है कि लेनदार उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लेखाओं के रखे जाने और प्रकाशन के बारे में असफल है, वहाँ वह मूलधन की राशि पर के पूरे व्याज को नामंजूर कर सकेगा।

16. ऋण निपटारा अधिकारी के व्यक्तियों की उपस्थिति की तथा दस्तावेजों के पेश करने की और साक्ष्य लेने की अपेक्षा करने की शक्ति.—धारा 9 के अधीन नियुक्त ऋग निपटारा अधिकारी पक्षकारों तथा साक्षियों को बुलाने तथा उनकी परीक्षा करने और दस्तावेजों को पेश करने से संबंधित ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सके। जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) द्वारा सिविल न्यायालयों को प्रदान की गई है और ऋग निपटारा अधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही की न्यायालयिक कार्यवाही के रूप में समझा जाएगा।

17. व्यक्तिक्रम की दशा में आवेदन का खारिज किया जाना।—यदि ऋण निपटारा अधिकारी को राय में कोई आवेदक अपने आवेदन का संचालन सम्युक्त तत्त्वता से करने में असफल रहता है, तो ऋग निपटारा अधिकारी आवेदन को किसी भी प्रक्रम पर खारिज कर सकेगा।

18. ऋण निपटारा अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।—यदि इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई उधार या दायित्व ऋग या नहीं या कोई व्यक्ति ऋगी है या नहीं, तो ऋग निपटारा अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

19. सिविल वादों का वर्जन —कोई भी सिविल न्यायालय निम्नलिखित ग्रहण नहीं करेगा :—

(क) निम्नलिखित के लिये कोई वाद, अपील या पुनरीक्षण का आवेदन :—

(i) किसी प्रक्रिया की विधिभाव्यता या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश की वैधता को प्रश्नगत करने के लिये ;

(ii) ऐसे ऋग को वसूल करने के लिये जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्प्रकृत उन्मुक्त समझा गया है;

(ख) ऋगी के विरुद्ध सिविल न्यायालय द्वारा पारित बिक्री के निष्पादन के लिये कोई आवेदन ;

(ग) घोषणा करने के लिये कोई ऐसा वाद या व्यादेश के लिये कोई ऐसा वाद या आवेदन जो इस अधिनियम के अधीन ऋग निपटारा अधिकारी के सामने किन्हीं कार्यवाहियों को प्रभावी करता हो।

20. पुनर्विलोकन — कोई व्यक्ति, जो ऋग निपटारा अधिकारी के किसी श्रादेश से व्यक्ति है और जो किसी ऐसे नये और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य के, जो सम्यक तत्त्वता बरतने पर भी उसकी जानकारी में नहीं था या ऐसा श्रादेश किये जाने के समय उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, पता चलते पर या किसी गतिःया या भूल के कारण जो अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट प्रतीत होती है या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, अपने विरुद्ध किये गये किसी श्रादेश का पुनर्विलोकन कराना चाहता हो ऋग निपटारा अधिकारी को ऐसे श्रादेश के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन कर सकेगा तथा ऐसा श्रादेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी हिन्दू व्यक्ति को प्रभावी करने वाले किसी श्रादेश को 'उलटने या उत्तरात्तरित करने वाला' कोई श्रादेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसरादिये बिना नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, यदि वह, उस श्रादेश की जितका पुनर्विलोकन चाहा गया है, तारीख से 12 मास के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है ।

21. अरीन या पुनरीक्षण का बड़न.—इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबन्धित के सिंगम, ऋग निपटारा अधिकारी द्वारा पारित किसी श्रादेश के विरुद्ध कोई श्रीपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

22. ऋग निपटारा अधिकारी के समक्ष अधिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से पक्षकार का उपस्थित होना.—इस अधिनियम के अधीन किन्हों कार्यवाहियों में, किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व लिखित ढंग में प्राप्ति अधिकारी द्वारा या ऋग निपटारा अधिकारी की प्रनुज्ञा से किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया जा सकेगा ।

23. 1963 का संसद अधिनियम 36 के अपवर्धों का लागू होना.—परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का संसद अधिनियम 36) के उपबन्ध, धारा 8 के अधीन किसी ऐसे आवेदन को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह आवेदन उधार की वसूली के लिये किसी वाद में कदपत्र हो ।

24. देय राशियों की वसूली.—इस अधिनियम के अधीन, ऋग निपटारा अधिकारी द्वारा किये गये श्रादेश का, उस क्षेत्र में अधिकारिता प्राप्त सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे किया जाएगा मानो वह उस न्यायालय की बिंदी या श्रादेश हो ।

25. नियम बनाने की शक्ति.—(1) प्रशासनदिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन सभी विषयों की बाबत् जिसके लिये उपबन्ध करता इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन है, नियम बना सकेगी ।

(2) उधारा (1) के अधीन बताये गये नियमों को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित करना होगा ।

(3) विलोपित

26. 1938 के पंजाब अधिनियम 3 की धारा 4 का संशोधन.—(1) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की अथा विस्तारित पंजाब साहूकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम 3)

(४०) (५०)
 की धारा ४ को उस धारा की उपधारा (१) के लिए में पुनः संखाकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

(२) कोई भी साहकार उधार देने का कारबाहर तब तक नहीं करेगा जब तक कि उपधारा (१) के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हो जाता।

(३) ऐसा साहकार, जो उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर प्रभम अपराध के लिये एक हजार रुपये तक के और पश्चात् वर्ती प्रत्येक अपराध के लिये दो हजार रुपये तक के जुर्माने के लिये दायी होगा।”

27. विलोपित।

[सं. यू. 11015/1/76—यू. टी. एल. (137)]

महेश प्रसाद, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977